[2022] 7 एस.सी.आर. 611

मनोज परिहार और अन्य

वि

जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य।
(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 11039 2022)

27 जून, 2022

[सूर्य कांत और जे.बी. पारदीवाला, जे.जे]

सेवा कानून: न्यायिक सेवा - वरिष्ठता-निर्धारण - जम्मू और कश्मीर राज्य (अब केंद्र शासित प्रदेश) में राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मुंसिफों की नियुक्ति - परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण, रोस्टर बिंदुओं के आधार पर या उनके चयन के समय उनकी परस्पर योग्यता के क्रम के अनुसार - आयोजित: सीधी भर्ती के मामले में, चयनित उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता सूची की तैयारी अपरिहार्य है, नियम या नीति में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी, भर्ती प्राधिकारी सामान्य नियम के तहत अभिनिर्धारित के साथ असंगत कार्यप्रणाली को अपनाकर उम्मीदवारों को चयन सूची में नहीं रख सकता है। अनुच्छेद 14 और 16 चयनित उम्मीदवारों की इंटर-से-मेरिट सूची लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, वाइवा-वॉयस या अन्य निर्धारित मापदंडों जैसे कई कारकों के संयुक्त प्रभाव के रूप में तैयार की जा सकती है, यहां तक कि योग्यता-सह-के आधार पर पदोन्नति के मामले में भी। वरिष्ठता अपने आप में चयन पद पर पदोन्नति के लिए एकमात्र योग्यता नहीं है, यह केवल कारकों में से एक होगी - रोस्टर प्रणाली केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि आरक्षण की मात्रा भर्ती प्रक्रिया में परिलक्षित होती है - इसमें कुछ भी नहीं है भर्ती किए गए लोगों के बीच परस्पर वरिष्ठता के साथ संबंध - उच्च न्यायालय ने सही माना कि वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार तय की जानी चाहिए, न कि रोस्टर बिंदुओं के अनुसार, इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आदेश में हस्तक्षेप नहीं है - जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 - आर. 5- जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) भर्ती नियम, 1967 आर. 42 जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम 2005 - जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम, 1994 - जम्मू और कश्मीर का संविधान-अनुच्छेद 111- भारत का संविधान - अनुच्छेद 235, 14 और 16.

पूर्वव्यापी कार्रवाई: निर्णय, जब पूर्वव्यापी में संचालन - न्यायालय द्वारा घोषित कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा, यदि अन्यथा विशेष रूप से ऐसा न कहा गया हो - निर्णय/आदेश।

Bimlesh Tanwar v. State of Haryana (**2003) 5 SCC 604** : **[2003] 2 एससीआर 757**; पी. वी. जॉर्ज बनाम केरल राज्य **(2007) 3 एससीसी 557: [2007] 1 एससीआर 1198** पर भरोसा किया गया।

आरके सभरवाल बनाम पंजाब राज्य **(1995) 2 एससीसी 745: [1995] 2 एससीआर 35**; जी पी. डोभाल बनाम सरकार। के ऊपर। **(1984) 4 एससीसी 329: [1985] 1 एससीआर 70;** कुलदीप चंद बनाम भारत संघ **(1995) 5 एससीसी 680: [1995] 3 पूरक। एससीआर 45**; अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य**(1999) 7 एससीसी 209: [1999] 2 पूरक। एससीआर 521** को संदर्भित किया गया है।

केस कानून संदर्भ

[1995] 2 एससीआर 35	**संदर्भित**	**पैरा 18**
[1985] 1 एससीआर 70	**संदर्भित**	**पैरा 20**
[1995] 3 पूरक। एससीआर 45	**संदर्भित**	**पैरा 21**
[1999] 2 पूरक। एससीआर 521	**संदर्भित**	**पैरा 23**
2007] 1 एससीआर 1198	**पर भरोसा**	**पैरा 26,27**
[2003] 2 एससीआर 757	**पर भरोसा**	**पैरा30**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (स) 2022 का क्रमांक 11039/2011 के एसडब्ल्यूपी संख्या 1350 में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के दिनांक 27.05.2022 के निर्णय और आदेश से।

याचिकाकर्तागण की ओर से रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री बीनू टम्टा, ध्रुव टम्टा, मेसर्स टम्टा अधिवक्ता

उत्तरवादीगण की ओर से संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, एफ. ए. नटनू, अशोक माथुर, तनवीर अहमद मीर, कार्तिक वेणु, सुश्री स्वाति खन्ना, अर्जुन सिंह भाटी, फहीम शाह, अधिवक्तागण

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

आदेश

1. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की इजाजत मांगने वाली यह याचिका असफल मूल उत्तरवादियों के उदाहरण पर है

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय (न्यायिक अधिकारी) के समक्ष दायर रिट आवेदन और एसडब्ल्यूपी संख्या 1350/2011 में उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच दिनांक 27.05.2022 द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय यहां प्रतिवादी संख्या 3 से 19 (मूल रिट आवेदक) द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई।

2. इस विशेष अनुमति याचिका को जन्म देने वाले तथ्यों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

2.1 शुरुआत में, हम कह सकते हैं कि यह जम्मू राज्य में उप-न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के लिए मुंसिफों (2003 बैच) की वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित मुद्दे पर इस न्यायालय के समक्ष मुकदमे का दूसरा दौर है। और कश्मीर (अब केंद्र शासित प्रदेश)।

2.2 मुकदमे के पहले दौर में इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यहां उत्तरवादियों (मूल रिट आवेदक) ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा 2002 में अर्हता प्राप्त की और 2002-03 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए। उन्हें यहां याचिकाकर्ताओं की तुलना में योग्यता सूची में उच्च स्थान पर रखा गया था। हालाँकि, जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 के नियम 5 के तहत प्रदान की गई सीधी भर्ती के लिए आरक्षण को लागू करके ग्रेडेशन सूची तैयार की गई थी। इसके परिणामस्वरूप आरक्षित श्रेणी के याचिकाकर्ताओं ने ग्रेडेशन सूची में सामान्य श्रेणी के उत्तरवादियों को विस्थापित कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की पदक्रम सूची को रद्द करने और योग्यता के आधार पर पदक्रम सूची तैयार करने का निर्देश देने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी।

3. उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:

16. वर्तमान याचिका में उठाया गया मुद्दा पूरी तरह से अशोक कुमार शर्मा के मामले में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले के अंतर्गत आता है। हालांकि याचिकाकर्ता इस आधार पर ग्रेडेशन सूची और परिणामी पदोन्नति आदेश पर आपत्ति नहीं जताते हैं कि ये संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं और इसलिए अधिकारेतर संविधान, फिर भी इंद्रा साहनी के मामले में निर्धारित और अशोक शर्मा के मामले में भरोसा किए गए कानून पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता है, वर्तमान मामले से निपटते समय क्योंकि यह संवैधानिक रूप से आरक्षण नियमों को छूता है, जिस पर लागू पदनाम सूची आधारित है और इसलिए, उच्च की वैधता कोर्ट ने ग्रेडेशन सूची में इस प्लेसमेंट के आधार पर निजी उत्तरवादियों को पदोन्नति देने का आदेश दिया। प्रश्न में ग्रेडेशन सूची और उसके आधार पर बने पदोन्नति आदेश

इसलिए, आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में, निजी उत्तरवादियों के पक्ष में, अकेले इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं। इस प्रकार निकाला गया निष्कर्ष, सामान्यतः, मामले को सुलझा देगा। हालाँकि, यदि आवश्यक नहीं है, तो याचिका में उठाए गए पदोन्नति योजना में आरक्षण की संवैधानिकता के अलावा अन्य मुद्दों से निपटना उचित होगा।

25. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, हम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी दिनांक 01.06.2010 की ग्रेडेशन सूची को चुनौती देने के साथ-साथ ग्रेडेशन में उनकी नियुक्ति के आधार पर उत्तरवादियों 3 और 4 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नत करने के आदेश को चुनौती देते हैं। विवादित पदक्रम सूची के आधार पर पारित ऐसे अन्य आदेशों को चुनौती देना भी सफल होगा, जो विभिन्न आरक्षित श्रेणियों से संबंधित निजी उत्तरवादियों को याचिकाकर्ताओं से आगे निकलने की अनुमति देते हैं। हमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता 1 से 10 पहले ही सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नत हो चुके हैं और उत्तरदाता 3 से 12 और 14 और 15 भी हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं 1 से 10 का हित उचित स्थान पर उनकी नियुक्ति तक ही सीमित है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बनाए गए सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) की वरिष्ठता सूची.....

26. याचिकाकर्ता क्रमांक 11 से 16 और सुश्री मीर अफ़रोज़ (प्रतिनियुक्ति पर) अब्दुल कयूम मीर और मंज़ूर अहमद ज़रगर पर हैं। मेरिट सूची में योग्यता के क्रम में 19 से 27 तक क्रमांक क्रमांक 32, 37, 31, 33, 34, 41, 38, 30 पर उत्तरवादियों से 4, 5, 7 से 12 तक वरिष्ठ रैंक, और पहले से ही पदोन्नत उच्च न्यायालय के आदेश क्र० 252 दिनांक 04.07.2015 सहित विभिन्न उच्च न्यायालय आदेशों के तहत सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के रूप में याचिकाकर्ता 11 से 16 तक मीर अफरोज (प्रतिनियुक्ति पर) अब्दुल कयूम मीर और मंजूर अहमद जरगर को उत्तरवादियों 4, 5, 7 से 12 से पहले सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार था। याचिकाकर्ताओं की अनदेखी करके प्रतिवादी क्र० 2 दावा करने और उनके दावे पर विचार करने में विफलता ने संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। हालाँकि, मेसर्स. मीर अफरोज (प्रतिनियुक्ति पर) अब्दुल कयूम मीर और मंजूर अहमद जरगर वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में शामिल नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आदेशों पर सवाल नहीं उठाया है

जिससे निजी उत्तरवादियों 4, 5, 7 से 12 को उच्च न्यायालय के आदेश क्र० 252 दिनांक 04.07.2015 सहित पदोन्नत किया गया। उत्तरदाता 4, 5, 7 से 12 संभवतः कुछ समय से सिविल अधीनस्थ न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे पास आज तक खाली पड़े सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पदों के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, जिससे यह जांच की जा सके कि याचिकाकर्ता 11 से 16 और मेसर्स मीर अफरोज (प्रतिनियुक्ति पर) अब्दुल कयूम मीर और मंजूर अहमद जरगर को उत्तरवादियों 4, 5, 7 से 12 को परेशान किए बिना ऐसे पद के खिलाफ सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने का निर्देश दिया गया और योग्यता के अनुसार उसके बाद सिविल जज की वरिष्ठता सूची में सख्ती से रखा गया। अतः हम उस आदेश को रद्द करने से बचते हैं जिसके तहत उत्तरवादियों 4, 5, 7 से 12 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नत किया गया है। हम प्रतिवादी संख्या2 को यह पता लगाने का निर्देश देते हैं कि क्या आज तक सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का कोई पद खाली है, ताकि उपलब्ध पदों पर याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति पर विचार किया जा सके। ऐसी कवायद आज से तीन महीने बाद पूरी हो जाये। ऐसी स्थिति में, ऐसा कोई भी पद खाली नहीं पाया जाता है या याचिकाकर्ताओं 11 से 16 तक विचार करने के लिए आवश्यक पदों से कम पद खाली पड़े हैं, आदेश जिसके तहत उत्तरवादियों 4, 5, 7 से 12 को पदोन्नत किया गया है सिविल जज (सीनियर डिवीजन), याचिकाकर्ताओं 11 से 16 तक विचार करने के लिए आवश्यक सीमा आज से तीन महीने की समाप्ति पर अलग रखे जाएंगे और उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। अभ्यास के पूरा होने पर किसी भी तरह से प्रतिवादी क्रमांक-2 योग्यता के अनुसार वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार और अधिसूचित करेगा। न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तैयार किया जाना है।

4. याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्वोक्त निर्णय और आदेश से असंतुष्ट होकर 2016 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3786 के माध्यम से इसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। विशेष अनुमति याचिका 2021 की सिविल अपील संख्या 6928 में समाप्त हुई। 2021 की सिविल अपील संख्या 6928 का अंततः इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निपटारा किया गया:

"10. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या पदक्रम के प्रयोजन के लिए वरिष्ठता

सूची आरक्षण बिंदुओं के आधार पर स्थापित की जा सकती है और यह मुद्दा कानूनी स्थिति पर उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गौरव पचनंदा ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने इस विचार को स्वीकार कर लिया है कि ग्रेडेशन सूची अमान्य है। उच्च न्यायालय को अपने प्रशासनिक पक्ष से मामले के इस पहलू पर सुविचारित निर्णय लेने से नहीं रोका गया है...

11. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के 27 नवंबर, 2015 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। रिट याचिका को नए सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय की फाइल में बहाल कर दिया गया है। कार्यवाही के लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय से याचिका का निपटारा करने का अनुरोध करेंगे। रिमांड पर, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर। इस बीच, उच्च न्यायालय का निर्णय लंबित होने तक, यह उचित होगा कि 2003 बैच के लिए ग्रेडेशन सूची के आधार पर परिणामी निर्देशों को स्थगित रखा जाए ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अंतिम परिणाम का पालन किया जा सके। उच्च न्यायालय इस बीच प्रशासनिक पक्ष पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है...

12. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।"

5. उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने मामले की दोबारा सुनवाई की और यह विचार किया कि वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार तय की जानी चाहिए, न कि आरक्षण बिंदुओं के अनुसार। हम उच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को उद्धृत करते हैं, जिसमें आक्षेपित निर्णय और आदेश का संचालित भाग भी शामिल है:

> "13. अतीत में, हालांकि यह सच हो सकता है कि उच्च न्यायालय आरक्षण बिंदुओं के आधार पर वरिष्ठता बनाए रखता था, जैसा कि 1994 के आरक्षण नियमों के नियम 14 के तहत उल्लेख किया गया है, निर्णय के अनुपात के आधार पर हो सकता है पी.एस. घलौट, फिर भी इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 10.03.2003 को पी.एस. घलौत में निर्णय को इस विषय पर अच्छा कानून नहीं बनाने के रूप में घोषित किया था, उच्च न्यायालय सहित कोई भी प्राधिकारी आरक्षण बिंदु बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था वरिष्ठता निर्धारित करने का आधार एवं

इसके अलावा इसे सबजज के पद पर पदोन्नति का आधार बनाया जाए। यह दोहराने की आवश्यकता है कि वर्तमान मामले में चयनित अधिकारियों की नियुक्तियाँ जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) भर्ती नियम, 1967 के नियम 42 के अनुसार दिनांक 06.08.2003 के सरकारी आदेश के तहत की गईं, यानी की घोषणा के बहुत बाद, बिमलेश तंवर मामले में फैसला ।

यही कारण है कि उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया था कि ग्रेडेशन सूची अमान्य थी, जो वर्तमान याचिकाओं में चुनौती का विषय है...

14. हमें बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं और निजी उत्तरवादियों दोनों को उप-न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है और इसलिए, जब रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की पदोन्नति को प्रारंभिक चुनौती दी गई थी, तब भी कोई पदोन्नति नहीं होगी। यदि वरिष्ठता योग्यता के अनुसार तय करने का निर्देश दिया गया तो प्रभावी होगी...

15. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और कानून के आलोक में मामले पर विचार करने के बाद, हम निम्नानुसार मानते हैं: -

अ) ग्रेडेशन सूची दिनांक 01.06.2010 तक, और जहाँ तक कि यह अधिसूचना संख्या पीएससी/ईएक्स-2001/64 दिनांक 04.12.2001 के संदर्भ में मुंसिफ के पद के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयन से संबंधित है उसे रद्द कर दिया जाता है।

ब) प्रतिवादी क्र० 2 को मुंसिफ के पद के लिए चयन प्रक्रिया के संबंध में अधिसूचना दिनांक 04.12.2001 से संबंधित वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त योग्यता के अनुसार है।

स) याचिकाकर्ताओं सहित ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें विवादित पदक्रम सूची के कारण समय पर पदोन्नत नहीं किया गया और इसलिए, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायिक सेवा नियमों, 2009, के अनुसार सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अपेक्षित अनुभव प्राप्त नहीं कर सके, ऐसी परीक्षा देने के लिए पात्र माना जाएगा, यदि कोई अन्य

समान पद पर सिविल जज, लेकिन पुनर्निर्धारित वरिष्ठता सूची में नीचे, ऐसी परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे।

16. तदनुसार, रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।"

6. उपरोक्त से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका के साथ एक बार फिर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने दृढ़तापूर्वक कहा कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने दृढ़तापूर्वक कहा कि इसे कानून के पूर्ण प्रस्ताव के रूप में तर्क नहीं दिया जा सकता है कि वरिष्ठता तय करने के प्रयोजनों के लिए केवल योग्यता पर विचार किया जाना चाहिए, न कि आरक्षण बिंदुओं पर। उनका कहना था कि इस मामले में निष्पक्ष और उचित सिद्धांत विकसित करने का काम उच्च न्यायालय जैसे प्राधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से यह कि क्या वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले नियम अनुपस्थित हैं। उनका कहना था कि चूंकि भर्ती नियम 1967 उप-न्यायाधीशों के पदों पर मुंसिफों की पदोन्नति की प्रक्रिया के साथ-साथ उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के तरीके के संबंध में चुप हैं। उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासनिक पक्ष में जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के साथ समरूप है, आरक्षण नियम 1994 को अपनाने के लिए अपने पूर्ण न्यायालय संकल्प दिनांक 04.12.1994 में निर्णय लिया था। मुंसिफ के पद के लिए भर्तियों की परस्पर वरिष्ठता तय करने के उद्देश्य से और इस प्रथा का पालन 1995 और 2003 के बीच लगातार किया गया था।

8. श्री रंजीत कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 1995 से आरक्षण के अनुसार वरिष्ठता तय करने की पद्धति अपनाई है। इसे में नियुक्त 11 मुंसिफों पर लागू किया गया, उसके बाद नियुक्त 10 मुंसिफों पर वर्ष 1997 से लागू किया गया। उसके बाद वर्ष 2000 में नियुक्त 32 मुंसिफों को, उसके बाद वर्ष 2001 में नियुक्त 17 मुंसिफों को और आखिरी में वर्ष 2003 में नियुक्त 47 मुंसिफों को, जिनमें इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता और प्रतिवादी शामिल थे।

9. विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि न तो यहां याचिकाकर्ताओं और न ही यहां उत्तरवादियों ने आरक्षण नियम 1994 या पूर्ण न्यायालय के संकल्प दिनांक 04.12.1994 को चुनौती देना उचित समझा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी और उनके आरक्षण के अनुसार वरिष्ठता तय की गई। वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में दोनों पक्ष जागरूक थे ।

रोस्टर का अनुपालन पूर्णत: न्यायालय के निर्णय पर आधारित था और विशेष रूप से, इस कारण से कि 2003 बैच पहला बैच नहीं था जहां आरक्षण नियम 1994 के संदर्भ में आरक्षण लागू किया गया था।

10. वह प्रस्तुत करेंगे कि वर्ष 2003 में उनकी नियुक्ति के बाद से दोनों पक्षों ने रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता के निर्धारण के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई पद्धति की वैधता पर कभी सवाल नहीं उठाया।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम 2005 को लागू करने में एक गंभीर त्रुटि की, जिसे बाद में जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत तैयार किया गया और परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण उद्देश्य के लिए 21.10.2005 को अधिसूचित किया गया। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क यह है कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का कोई पूर्वव्यापी संचालन नहीं है और उन्हें वर्ष 2003 की नियुक्ति की वरिष्ठता तय करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता था। श्री रंजीत कुमार ने ध्यान आकर्षित किया इस न्यायालय के नियम 37 के प्रावधान में कहा गया है कि नियम उन रिक्तियों या पदों पर लागू नहीं होंगे जिनके संबंध में नियम 2005 के लागू होने से पहले विज्ञापन जारी किया गया है या चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। संक्षेप में, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क यह है कि नियम 2005 का कोई संभावित कार्यान्वयन नहीं हो सकता है। अंत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी ओर से बिना किसी गलती के क्यों भुगतना चाहिए क्योंकि 2003 बैच अंतिम बैच है जिन्हें 2005 के नियम लागू करने की मांग की गई है। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि यदि वरिष्ठता 2003 बैच के नियुक्तियों की योग्यता के अनुसार तय की जाएगी, न कि आरक्षण बिंदुओं के आधार पर, तो कई याचिकाकर्ताओं के पास आगे पदोन्नति की कोई संभावना नहीं होगी।

12. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रार्थना करते हैं कि उनकी याचिका में योग्यता होगी। अनुमति मंजूर की जा सकती है और अपील स्वीकार की जा सकती है।

13. दूसरी ओर, इस याचिका का निजी उत्तरवादियों, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय और जम्मू और कश्मीर राज्य की ओर से उपस्थित संबंधित विद्वान वकील द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। सभी विद्वान अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि कोई भी त्रुटि, कानून की किसी भी त्रुटि की तो बात ही छोड़िए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह किया गया है

उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार रखते हुए कि वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार तय की जानी चाहिए न कि आरक्षण बिंदुओं के अनुसार। सभी विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि इस संबंध में कानून अब एकीकृत नहीं है और अच्छी तरह से स्थापित है।

14. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित सभी विद्वान वकील प्रार्थना करते हैं कि छुट्टी देने का कोई मामला नहीं बनता है और याचिका खारिज कर दी जाए।

<u>विश्लेषण</u> :

15. पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद ही एकमात्र प्रश्न यह निकला हमारे विचार के लिए यह है कि क्या राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त मुंसिफों की पारस्परिक वरिष्ठता रोस्टर बिंदुओं के आधार पर तय/निर्धारित की जानी चाहिए या उनके अंतर के क्रम के अनुसार -से उनके चयन के समय पर योग्यता?

16. पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जिसे हम स्पष्ट करना चाहेंगे, वह यह है कि सीधी भर्ती के मामले में, नियम में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी, चयनित उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता सूची तैयार करना अपरिहार्य है। नीति के अनुसार, भर्ती प्राधिकारी सामान्य नियम के तहत या संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की भावना के साथ असंगत कार्यप्रणाली को अपनाकर उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल नहीं कर सकता है। चयनित उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता सूची लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा या अन्य मापदंडों जैसे कई कारकों के संयुक्त प्रभाव के रूप में तैयार की जा सकती है जो सेवा की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए हों। इसी तरह, हालांकि वर्तमान मामले में चिंतित नहीं हैं, यहां तक कि योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के मामले में भी, वरिष्ठता अपने आप में चयन पद पर पदोन्नति के लिए एकमात्र योग्यता नहीं है। यदि पदोन्नति का मानदंड योग्यता-सह-वरिष्ठता है, तो तुलनात्मक योग्यता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिसमें वरिष्ठता केवल कारकों में से एक होगी। हालाँकि, योग्यता-सह-वरिष्ठता के मामले में सबसे कनिष्ठ व्यक्ति भी अपने वरिष्ठों से आगे निकल सकता है और त्वरित पदोन्नति के लिए कतार में कूद सकता है।

17. सेवा न्यायशास्त्र के पूर्वोक्त मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अब हम हमारे सामने आने वाले पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विषय पर केस कानून पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

18. यह **आर.के. सभरवाल** बनाम **पंजाब राज्य** (1995) 2 एससीसी 745, न्यायालय ने इस प्रकार कहा :

"5. हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए दूसरे तर्क में काफी ताकत देखते हैं। आक्षेपित सरकारी निर्देशों के तहत प्रदान किए गए रोस्टर को प्रत्येक विभाग में बनाए रखने वाले आरक्षण के अनुसार संचालित किया जाना है। आरक्षण को लागू किया गया है वर्ष-दर-वर्ष चालू खाते का स्वरूप। "चालू खाता" का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को उनके आरक्षित पदों का प्रतिशत प्राप्त हो। आक्षेपित निर्देशों में "चालू खाता" की अवधारणा इसकी व्याख्या इस प्रकार की जाए कि इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक आरक्षण न हो यानि " कुल पद 16%." अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। 100 पदों की एक बड़ी संख्या में जो क्रम संख्या 1, 7, 15, 22, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 80, 87 और 91 पर आते हैं उनको अनुसूचित जाति के लिए रोस्टर में आरक्षित किया गया है। रोस्टर बिंदु 26 और 76 पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब किसी संवर्ग में भर्ती शुरू होती है तो आरक्षण में निर्धारित 14 पद अनुसूचित जाति के सदस्यों में से भरे जाने होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी संवर्ग में पहला पद अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए और उसके बाद उक्त वर्ग 7 वें, 15 वें, 22 वें और 91 वें पद तक का हकदार है। जब किसी संवर्ग में कुल पदों की संख्या आरक्षण के संचालन द्वारा भरी जाती है तो आक्षेपित निर्देशों द्वारा परिकल्पित परिणाम प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, 100 पदों के कैडर में जब अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण में निर्धारित पद भरे जाते हैं तो आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण का प्रतिशत हासिल हो जाता है। इसके बाद आरक्षण संचालित करने का हमें कोई औचित्य नजर नहीं आता। "चालू खाता" केवल तब तक संचालित होना है जब तक कि विवादित निर्देशों के तहत प्रदान किया गया कोटा पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद नहीं। एक बार पदों का निर्धारित प्रतिशत भर जाने के बाद पर्याप्तता की संख्यात्मक परीक्षा पूरी हो जाती है और उसके बाद आरक्षण नहीं बचता है। आरक्षण का प्रतिशत राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों का वांछित प्रतिनिधित्व है और उनकी जनसंख्या के संबंध में निकाले गए अनुपात के आधार पर जनसांख्यिकीय अनुमान के अनुरूप है। संख्यात्मक कोटा का

पोस्ट एक बदलती हुई सीमा नहीं है बल्कि दिमाग के समुचित प्रयोग के साथ एक आकृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग को अवसर की समानता सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका यह है कि आरक्षण को तब तक संचालित करने की अनुमति दी जाए जब तक कि संबंधित नियुक्त/पदोन्नत व्यक्ति रोस्टर में उनके लिए निर्धारित पदों पर लाभ प्राप्त ना कर ले । इसके बाद रोस्टर और "चालू खाता" का संचालन समाप्त हो जाना चाहिए। प्रारंभिक पद भरने के बाद संवर्ग में निकलने वाली रिक्तियों में कोई कठिनाई नहीं होगी। जब भी किसी विशेष पद पर कोई रिक्ति होती है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, तो उसे उस श्रेणी में से भरना होगा, जिसका पद रोस्टर में है। उदाहरण के लिए, रोस्टर बिंदु 1, 7, 15 पर पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इन स्थानों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में से भरा जाना है। इसी प्रकार, यदि बिन्दु 8 से 14 या 23 से 29 पर पद धारण करने वाले व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो ये स्थान सामान्य वर्ग से भरे जाएंगे। इस प्रक्रिया का पालन करने से आरक्षण के प्रतिशत में न तो कमी होगी और न ही अधिकता होगी।"

19. **बिमलेश तंवर बनाम हरियाणा राज्य,** (2003) 5 एससीसी 604 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"19. यह प्रस्तुत किया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा अपने परिपत्र पत्र दिनांक 27-4-1972 में जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, रोस्टर बिंदुओं को वरिष्ठता बिंदु नहीं माना जा सकता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन निर्देशों का पालन किया गया है लंबे समय से उच्च न्यायालय के पास कोई कारण नहीं है कि इस तरह की प्रथा से क्यों हटना चाहिए। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस न्यायालय ने अजीत सिंह (द्वितीय) 5 में स्पष्ट रूप से माना है कि आरक्षण बिंदुओं का उद्देश्य वरिष्ठता निर्धारित करना नहीं है। सामान्य उम्मीदवारों और आरक्षित उम्मीदवारों के बीच, आक्षेपित निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

24. अत: नियम निर्विवाद रूप से योग्यता पर जोर देते हैं। यह सभी आशय के लिए रोस्टर बिंदुओं के संदर्भ में नियुक्ति के नियम की प्रयोज्यता को बाहर करता है।

33. यह प्रश्न कि क्या परस्पर का निर्धारण वरिष्ठता रिक्तियों को भरने पर निर्भर करेगी

जहां तक आरक्षित श्रेणियों का सवाल है, हमारी राय में, रोस्टर बिंदुओं में को ध्यान में रखते हुए, अब एकीकरण नहीं रह गया है।

40. संविधान के अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में एक सकारात्मक कार्रवाई नागरिकों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 नियुक्ति के मामले में लागू होता है। इसमें वरिष्ठता निर्धारण की बात नहीं है। इस प्रकार, वरिष्ठता को रोस्टर अंकों के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो सकारात्मक कार्रवाई का नियम बढ़ाया जाएगा जो कि संवैधानिक योजनाओं के अनुरूप नहीं होगा। हमारी राय है कि पी.एस. घालौत में निर्णय में कोई अच्छा कानून नहीं बनाता है।"

20. **जीपी में. डोभाल बनाम सरकार. उत्तर प्रदेश सरकार,** (1984) 4 एससीसी 329, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"16. एक शिकायत की गई थी कि याचिकाकर्ताओं ने लंबी अस्पष्ट देरी के बाद इस न्यायालय का रुख किया है और न्यायालय को उन्हें कोई राहत नहीं देनी चाहिए। यह बताया गया कि अनंतिम वरिष्ठता सूची 22 मार्च, 1971 को तैयार की गई थी और याचिकाएं वर्ष 1983 में दायर की गई हैं। इसलिए उत्तरवादियों ने कहा कि अदालत को देरी और सहमति के आधार पर याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। यह कहा गया था कि विवादित वरिष्ठता सूची के आधार के आधार पर दी गई पदोन्नति पर सवाल नहीं उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। हम इस अनुरोध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उत्तरवादियों क्र० 1 से 3 ने 12 साल से अधिक की अवधि के लिए वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया है और आगे की पदोन्नति के लिए उसी का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि पूरी तरह से याचिकाकर्ता नुकसान हो रहा है । याचिकाकर्ता अभ्यावेदन पर अभ्यावेदन देते रहे, जिसमें कोई प्रतिक्रिया, जवाब या राहत नहीं मिली। इसके साथ यह तथ्य भी जुड़ा है कि याचिकाकर्ता सेवा के निचले स्तर के हैं और यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि उन्हें यह बेहद मुश्किल लग सकता है इसलिए, विवाद को खारिज किया जाना चाहिए।'

17. चर्चा के मद्देनजर, ये याचिकाएँ सफल होती हैं और इन्हें अनुमति दी जाती है और 22 मार्च, 1971 की विवादित वरिष्ठता सूची को रद्द करते हुए सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट जारी की जाती है,

खाण्डसारी निरीक्षकों के सम्बन्ध में। उत्तरवादियों 1 से 3 को निर्देश दिया जाता है कि यदि नियुक्ति के बाद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पुष्टिकरण यानी चयन/अनुमोदन किया जाता है, तो पहली नियुक्ति की तारीख से निरंतर पद पर रहने की अवधि के सिद्धांत के आधार पर एक नई वरिष्ठता सूची तैयार की जाए। हम तदनुसार आदेश देते हैं, लेकिन मामले की परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

21. **कुलदीप चंद बनाम भारत संघ,** (1995) 5 एससीसी 680 में, यह कोर्ट ने इस प्रकार कहा:

"4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एम.एम. कश्यप ने अगली दलील दी कि अशोक कुमार ने अपने अभ्यावेदन दिनांक में 23-12-1982 को बनाई गई वरिष्ठता सूची की शुद्धता पर विवाद किया। अभ्यावेदन दिनांक 10-1-1983 और 10-1-1983, जिस पर विधिवत विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। उन्होंने इसे अंतिम बनने दिया क्योंकि अकाउंटेंट का पद खाली होने तक उन्होंने इसे चुनौती नहीं दी थी। जब इसे खारिज कर दिया गया, तो उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। दावा करने में काफी देरी हुई अपीलकर्ता पर उनकी वरिष्ठता। यह सच है कि वरिष्ठता सूची 23-12-1982 को तैयार की गई थी, लेकिन उसके बाद कोई रिक्ति नहीं निकली थी और इसलिए, वरिष्ठता के दावे की अस्वीकृति मात्र उन्हें अपनी वरिष्ठता का दावा करने से वंचित नहीं करती है। प्रतिवादी-संघ द्वारा अपीलकर्ता पर विचार हेतु।

5. जब उपरोक्त तथ्यों पर विचार किया जाएगा तो यह स्पष्ट होगा कि वरिष्ठता सूची तैयार करना अवैध था। इसलिए, केवल इस तथ्य से कि उन्होंने अवैध रूप से तैयार की गई वरिष्ठता सूची को तब तक चुनौती नहीं दी, जब तक कि वह एकाउंटेंट के पद के दावे पर विचार न किए जाने से व्यथित थे, उनके विचार किए जाने के वैध अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, लेखाकार के पद के लिए अशोक कुमार के दावों पर विचार करने में देरी का कोई मतलब नहीं है।"

22. यह सवाल कि क्या परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण रिक्तियों को भरने पर निर्भर करेगा, जहां तक आरक्षित श्रेणियों का संबंध है, आरक्षण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, अब एकीकृत नहीं है।

23. अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1999) 7 एससीसी 209 में, इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित शर्तों में कानून निर्धारित किया है:

"40. "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब भी कोई आरक्षित उम्मीदवार प्रारंभिक स्तर (मान लीजिए स्तर 1) पर भर्ती के लिए जाता है, तो वह चयन की सामान्य प्रक्रिया से नहीं गुजर रहा होता है जो सामान्य उम्मीदवार पर लागू होती है लेकिन उसे एक पद पर नियुक्ति मिल जाती है। उसके समूह के लिए आरक्षित "आरक्षण" का यही मतलब है, ये है "आरक्षण" का असर ।

41. अब ऐसे मामले में जहां आरक्षित उम्मीदवार ने अपनी योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ने का विकल्प नहीं चुना है, बल्कि आरक्षित पद का विकल्प चुना है, यदि विभिन्न आरक्षण बिंदुओं पर आरक्षित उम्मीदवार को लेवल 2 पर पदोन्नति के लिए लेवल 1 पर आरक्षण निर्धारित किया जाता है, तो आरक्षित उम्मीदवार, यदि वह अन्यथा योग्यता सूची के अंत में है, तो सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना लेवल 2 पर चला जाता है और वह बड़ी संख्या में स्थानों से ऊपर चला जाता है। 100 स्थानों वाले आरक्षण में, यदि रोस्टर बिंदु 8, 16, 24 आदि हैं, तो इनमें से प्रत्येक बिंदु पर आरक्षित उम्मीदवार यदि मेरिट सूची के अंत में है, तो कई सामान्य उम्मीदवारों को किनारे करके लेवल 2 पर पदोन्नति मिलती है। यह आरक्षण-प्वाइंट प्रमोशन का असर है।

42. यह ध्यान देने योग्य है कि लेवल 1 पर निर्धारित आरक्षण बिंदु का उद्देश्य सामान्य उम्मीदवारों और आरक्षित उम्मीदवारों के बीच लेवल 1 पर कोई वरिष्ठता निर्धारित करना नहीं है। जब हम मर्विन कॉन्टिन्हो बनाम कस्टम कलेक्टर (1966) 3 एससीआर 600 लोअर डाउन के मामले में आएंगे तो हम इस पहलू पर फिर से विचार करेंगे। जब भी स्तर 2 पर आरक्षित कोई रिक्ति उपलब्ध होती है तो रोस्टर बिंदु केवल क्रियाशील हो जाता है। एक बार जब ऐसी सभी रिक्तियाँ भर जाती हैं, तो आरक्षण अपने आप तैयार हो जाता है। इसके बाद अन्य आरक्षित उम्मीदवारों को केवल तभी पदोन्नत किया जा सकता है जब आरक्षित बिंदुओं पर पहले से भरी हुई रिक्ति उत्पन्न हो। आर.के. में यही तय हुआ था सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (1995) 2 एससीसी 745।"

24. **अजीत सिंह (द्वितीय)** में इस न्यायालय का निर्णय **आर.के. सभरवाल** मामले को इस प्रकार समझाया गया है:

"पी.एस. घलौत बनाम हरियाणा राज्य [(1995) 5 एससीसी 625] जिस पर डॉ. चौहान ने भरोसा किया, यह दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है। उस मामले में नियमों के नियम 13 में परिकल्पना की गई है कि सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता सेवा का निर्धारण सेवा में किसी भी पद पर निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर किया जाएगा; बशर्ते कि दो या दो से अधिक सदस्यों के मामले में

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने पर वरिष्ठता निर्धारण में आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम से छेड़छाड़ नहीं की जायेगी। उक्त नियम के बावजूद, इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया:

> "उदाहरण के लिए, रिक्तियों क्र० 1 और 6 को लें, जैसा कि मुख्य सचिव के पत्र में बताया गया है कि उन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। मान लीजिए कि दस रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती की गई थी, अनुसूचित जाति के तीन उम्मीदवारों को आरक्षित कोटा के आधार पर चुना गया था । सवाल यह है कि क्या पहले अभ्यर्थी को आरक्षण में अनुसूचित जाति के लिए आवंटित कोटे में रखा जाएगा। सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होने के बाद भी वह दूसरे और तीसरे अभ्यर्थी से अधिक मेधावी है, लेकिन उसे इसमें नियुक्ति नहीं मिलेगी रोस्टर के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है यानी क्र० 1 और 6 बिंदु । परिणामस्वरूप उम्मीदवार क्र० 2 और 3 को क्र० 1 और 6 पर स्थानन मिलेगा और पहले उम्मीदवार को सामान्य के साथ योग्यता के क्रम में स्थानन मिलेगा। चयन समिति या लोक सेवा आयोग द्वारा बनाए गए योग्यता क्रम के अनुसार उम्मीदवार। वह यह शिकायत नहीं कर सकता कि योग्यता में चयनित होने के बाद, उसे रोस्टर में बिंदु संख्या । पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। समान रूप से, हालांकि लोक सेवा आयोग या चयन समिति द्वारा तैयार योग्यता के क्रम में सामान्य उम्मीदवार अधिक मेधावी होते हैं, लेकिन जब नियुक्तियां की जाती हैं और रिक्तियां रोस्टर के अनुसार भरी जाती हैं, तो आवश्यक रूप से और अनिवार्य रूप से आरक्षित उम्मीदवार कम मेधावी होते हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा बनाए रखा गया योग्यता क्रम आरक्षण में निर्दिष्ट संबंधित स्थानों पर होगा। इस प्रकार वे कुछ सामान्य उम्मीदवारों से आगे निकल जाते हैं और सामान्य उम्मीदवारों से वरिष्ठता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यह योजना संवैधानिक और वैध है, और मनमानी नहीं है।"
>
> हम उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए खुद को राजी नहीं कर पाए हैं।"

25. यह ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि काल्पनिक स्थिति इस न्यायालय द्वारा में ली गई । जहां **पी.एस.घलौट (सुप्रा)** दो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया था, वास्तव में निकाला गया था

इस न्यायालय द्वारा **बिमलेश तंवर** (सुप्रा) के रिपोर्ट में पैरा 36 में इस न्यायालय ने लेख्यांकित किया कि यह सही नहीं था। रिपोर्ट के पैरा 40 में इस न्यायालय ने अंततः इस प्रकार कहा: -

"40। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में एक सकारात्मक कार्रवाई उन नागरिकों के वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 नियुक्ति के मामले में लागू होता है यह वरिष्ठता के निर्धारण की बात नहीं करता है। इस प्रकार, वरिष्ठता को आरक्षण बिंदुओं के संदर्भ में तय नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो सकारात्मक कार्रवाई का नियम बढ़ाया जाएगा जो सख्ती से संवैधानिक योजनाओं के अनुरूप नहीं होगा। हमारी राय है कि पी.एस. घलौट का निर्णय एक अच्छा कानून नहीं बनाता है।"

26. **बिमलेश तंवर** (सुप्रा) में जो किया गया वह वास्तव में कानून की घोषणा थी। इसलिए, इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। **पी.वी. मैं जॉर्ज बनाम केरल राज्य,** (2007) 3 एससीसी 557, इस न्यायालय ने माना कि "अदालत द्वारा घोषित कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा, यदि अन्यथा विशेष रूप से ऐसा नहीं कहा गया है"।

27. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत था, जैसा कि **पी.वी. जॉर्ज** (सुप्रा) में रिपोर्ट के पैराग्राफ 19 से देखा जा सकता है कि जब निर्णय के सिद्धांत(doctrine of stare decisis) का पालन नहीं किया जाता है, तो कानून में बदलाव नागरिकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। लेकिन फिर भी इस न्यायालय ने माना कि संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को लागू करने की शक्ति (ताकि प्रतिकूल प्रभाव को दूर किया जा सके) का प्रयोग यथासंभव स्पष्ट अवधि में किया जाना चाहिए।

28. इसलिए, यह स्पष्ट है कि **पि०एस ०घलौट** (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया कुछ भी, बदशत नहीं जा सकता क्योंकि इस न्यायालय ने **बिमलेश तंवर** (सुप्रा) में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को स्पष्ट शब्दों में लागू नहीं किया। यह इस प्रकार है:-

"(i) भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह [(1995) 6 एससीसी 684] में।

इस न्यायालय ने रेलवे द्वारा उठाए गए रुख को बरकरार रखा कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिन्हें रोस्टर बिंदुओं पर पदोन्नति मिली है, वे वरिष्ठ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के खिलाफ के रूप में पदोन्नति स्तर पर वरिष्ठता का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें बाद में उसी स्तर पर पदोन्नत किया गया था। न्यायालय ने माना कि राज्य को यह प्रदान करने का अधिकार है, जिसे लोकप्रिय शब्दों में "कैच अप रूल" के रूप में जाना जाता है, जो बाद में पदोन्नत हुए वरिष्ठ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को का दावा करने में सक्षम बनाता है।

रोस्टर प्वाइंट प्रमोटी से ऊपर की वरिष्ठता, जिसे पहले पदोन्नत किया गया था।

(ii) वीरपाल में बनाए गए कैच अप नियम को अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य [(1996) 2 एससीसी 715] में तीन सदस्यीय पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह मामला अजीत सिंह (1) के नाम से जाना गया।

(iii) लेकिन, अन्य तीन सदस्यीय पीठ ने जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य [(1997) 6 एससीसी 538] में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और माना कि अनुच्छेद 16(4) और 16(4-ए) के तहत आरक्षित उम्मीदवारों के अधिकार) मौलिक अधिकार थे, पदोन्नति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार था और इसलिए, रोस्टर बिंदु पदोन्नतियों को उसी आधार पर वरिष्ठता दी जानी चाहिए, जो किसी पद पर निरंतर कार्य कर रहे हैं।

(iv) चूंकि जगदीश लाल ने वीरपाल सिंह और अजीत सिंह (1) में व्यक्त विचारों के विपरीत विचार रखा, इसलिए पंजाब राज्य ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए इस न्यायालय के समक्ष अंतरिम आवेदन दायर किया। इन अंतर्वर्ती आवेदनों को 5 न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ के समक्ष रखा गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समन्वित क्षेत्राधिकार वाली दो पीठों (दोनों तीन सदस्यीय पीठ) ने बिल्कुल विपरीत विचार अपनाए थे। इन आवेदनों पर 5 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को अजीत सिंह (द्वितीय) के रूप में जाना जाता है, अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1999) 7 एससीसी 209] में।

(v) अंततः, अजीत सिंह (द्वितीय) मामले में संविधान पीठ ने कहा कि रोस्टर बिंदु पर पदोन्नत हुए लोग, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में, पदोन्नत पद पर लगातार कार्यभार संभालने की तारीख से, पदोन्नत श्रेणी में अपनी वरिष्ठता की गणना नहीं कर सकते हैं। जो निचली श्रेणी में उनसे वरिष्ठ थे और जिन्हें बाद में पदोन्नत किया गया था। परिणामस्वरूप, वीरपाल और अजीत सिंह (प्रथम) का फैसला सही घोषित किया गया और जगदीश लाल का फैसला गलत घोषित किया गया।"

29. इस प्रकार, इस न्यायालय के उपरोक्त सभी निर्णयों से स्पष्ट कानून का सिद्धांत यह है कि रोस्टर प्रणाली केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि आरक्षण की मात्रा भर्ती प्रक्रिया में परिलक्षित होती है। इसका भर्ती किए गए लोगों के बीच परस्पर वरिष्ठता से कोई लेना-देना नहीं है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, रोस्टर बिंदु उन नियुक्तियों की वरिष्ठता निर्धारित नहीं करते हैं जो एक साथ नियुक्तियाँ प्राप्त करते हैं; यह है कि

कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग एक ही तिथि पर सामूहिक रूप से नियुक्त किए गए हैं या उन्हें एक ही तिथि पर नियुक्त माना जाता है, भले ही वे अपने पदों पर कभी भी शामिल हुए हों। जैसा कि चर्चा की गई है, कानून की स्थिति तब भी प्रचलित कही जा सकती है, जब जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय ने रोस्टर बिंदुओं के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक पूर्ण न्यायालय प्रस्ताव द्वारा निर्णय लिया था।

30. हम 2003 की नियुक्तियों यानी हमारे सामने याचिकाकर्ताओं के लिए अपवाद बनाने के इच्छुक नहीं हैं। हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने **बिमलेश तंवर** (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा समझाए गए कानून के सिद्धांत को सही ढंग से लागू किया।

31. इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर हमारे द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश में कहा है कि चयनित अधिकारियों की नियुक्तियाँ जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) भर्ती नियम 1967 के नियम 42 के अनुसार दिनांक 06.08.2003 के सरकारी आदेश के अनुसार की गई थीं, जो कि बहुत बाद में कि गई है। **बिमलेश तंवर** (सुप्रा) के मामले में फैसले की घोषणा। यह सभी अंतर पैदा करता है।

32. मामले के समग्र दृष्टिकोण से, हम आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय में हमारी ओर से हस्तक्षेप की आवश्यकता के कारण कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी दुर्बलता या कोई अन्य दुर्बलता नहीं है।

33. परिणामस्वरूप, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

निधि जैन
(तमना, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त) याचिका खारिज

(सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)
प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)